न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 13 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. तिलोका राम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

<u>दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

<u>नि र्ण य</u> **दिनांक — 31.12.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 75 लगायत 78 किता 4 कुल रकबा 6.36 है0, खसरा नम्बर 73 वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1120, 1121 / 1179 किता 2 कुल रकबा 3.80 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा क्रमश 1 / 9, 1 / 9, 1 / 30 हक हिस्सा है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। उक्त खातेदारी वादी के नाम त्रिलोकचन्द पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी सेसम के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम तिलोका राम है जो प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड बैंक रिकार्ड एव कार्यालय ग्राम पंचायत सामी द्वारा जारी प्रमाण पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय खूड़ द्वारा जारी टी.सी. प्रमाण पत्र में वादी का नाम तिलोका राम दर्ज है। प्रार्थी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मुताबिक प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से तिलोका राम के स्थान पर त्रिलोकचन्द दर्ज हुआ है जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही वास्तविक नाम तिलोका राम है तथा तिलोका राम पुत्र नारायण राम व त्रिलोकचन्द पुत्र नारायण राम एक ही व्यक्ति है। जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 75 लगायत 78 किता 4 कुल रकबा 6.36 है0, खसरा नम्बर 73 वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1120, 1121/1179 किता 2 कुल रकबा 3.80 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम त्रिलोकचन्द के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम तिलोका राम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार चन्द्राराम पुत्र नारायण राम ने साक्ष्य वादी के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम तिलोकाराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम त्रिलोकचन्द के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम तिलोका राम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वादी के समर्थन में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 75 लगायत 78 किता 4 कुल रकबा 6.36 है0, खसरा नम्बर 73 वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1120, 1121/1179 किता 2 कुल रकबा 3.80 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम त्रिलोकचन्द के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम तिलोका राम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
, बाअपरा त्तवबमकनतम ब्कमए ।बचमदकपग श्क्ष . 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

तिलोकाराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 13 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 31.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 75 लगायत 78 किता 4 कुल रकबा 6.36 है0, खसरा नम्बर 73 वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तह0 दांतारामगढ व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1120, 1121 / 1179 किता 2 कुल रकबा 3.80 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम त्रिलोकचन्द के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर तिलोका राम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	0	00
मुतफरिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

दर्ज है।